

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड,
8-ए, बंगाली लाईब्रेरी रोड़, देहरादून ।

मैनुअल – चौदह

[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(ख)(xiv)]

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे,
जो उसकी उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सूचना उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट उत्तरा पोर्टल में उपलब्ध है । इसके अलावा **Public Distribution Control Order 2003** में फार्म-सी एवं फार्म 'डी' की सूचना ईलैक्ट्रानिक फार्मेट पर तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से खाद्यान्न के आवंटन/उठान की सूचना प्रस्तुत की जाती है ।
